

[नियम 211 (ii) (ख) देखें] / [See Rule 211 (ii) (b)]

वस्तु का नाम/ Name of

Article

■ ■

लेखा ईकाई/ Unit of

Accounts

.....

नोट: उपयोगकर्ता के मांगपत्र की मूल प्रति को निर्गमन वाउचर माना जाएगा निर्गमन वाउचर संख्या वित्तीय वर्ष के अनुसार क्रमागत (लगातार) क्रम में होगी तथा यह संख्या प्रत्येक मांग पत्र पर अंकित की जाएगी।

Note: User's indent in original shall be treated as issue voucher. Issue voucher number shall be in consecutive order, financial year wise and it should be noted on each indent.